

# लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462021

ई-मेल sscholarship.dpi@gmail.com

क्रमांक/समे.छात्र./अभि/01/2023-24/139

भोपाल दिनांक

12.09.2023

प्रति,

- 1- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
- 2- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश
- 3- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
- 4- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश
- 5- समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश
- 6- समस्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश

विषय:-समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शिक्षा पोर्टल पर सत्र 2023-24 अंतर्गत शासकीय/अशासकीय संस्थाओं का कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का शत प्रतिशत प्रवेश उपरांत प्रोफाइल अपडेशन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति करने विषयक।

संदर्भ:- म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र/1856/1524716/2023/20-2 दिनांक 21.08.23

---00---

कृपया म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से शिक्षा पोर्टल द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्ति विवरणिका जारी की गई है।

पूर्व वर्ष के अनुरूप ही समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 06 विभागों की 20 प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन शिक्षा पोर्टल के माध्यम से एवं अनुसूचित जाति/जनजाति प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक एवं अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन MPTAASC पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। MPTAASC पोर्टल पर वर्ष 2023-24 की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई है। अतः शासन के संदर्भित पत्र द्वारा शिक्षा पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित होने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु छात्रवृत्ति विवरणिका जारी की गई है।

सत्र 2023-24 में शासकीय/अशासकीय संस्थाओं का कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का शिक्षा पोर्टल पर शत प्रतिशत प्रवेश उपरांत प्रोफाइल अपडेशन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है:-


- 1 विद्यार्थियों का शाला मे नामांकन-शिक्षा पोर्टल पर सत्र प्रारम्भ होने से ही सभी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं का कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का शालावार एवं विद्यार्थीवार नामांकन कार्य प्रचलन में है। गत वर्ष नामांकित 1.40 करोड़ विद्यार्थियों की तुलना में अद्यतन 1.27 करोड़ विद्यार्थियों का नामांकन शिक्षा पोर्टल पर किया गया है।
- 2 विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन-नामांकन उपरांत समस्त विद्यार्थियों का प्रोफाइल दर्ज/अपडेट किया जाना अनिवार्य है। प्रोफाइल में दर्ज जानकारी के आधार पर ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आदि अन्य योजनाओं की पात्रता सुनिश्चित होती है। प्रोफाइल अपडेशन के आधार पर छात्रवृत्ति की गणना स्वतः सिस्टम द्वारा की जाती है जिसे विभाग द्वारा जारी की गयी विवरणिका अनुसार परीक्षण कर लिया जाए यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो प्रोफाइल लॉक करने से पूर्व प्रोफाइल को एडिट करने की सुविधा सभी ऑपरेटर एवं शिक्षकों की आई डी पर उपलब्ध है। पूर्ण रूप से आश्वस्त होने के उपरांत ही प्रोफाइल लॉक किया जाये। प्रोफाइल अपडेशन में मोबाइल नम्बर/ बैंक एकाउंट नम्बर आदि की सूक्ष्मता से जांच कर प्रविष्टि की जाये जिससे असफल भुगतान की स्थिति निर्मित न हो।
- 3 विद्यार्थी को विभिन्न विभागों की एक अधिक छात्रवृत्ति की पात्रता हो सकती है। अतः कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों/समस्त वर्ग के विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार शिक्षा पोर्टल पर किया जाना आवश्यक है।
- 4 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृति-म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा संबंधित विभागों द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं में किए गए संशोधन/परिवर्धन/विलोपन को सम्मिलित कर वर्ष 2023-24 में समेकित छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति की पात्रता एवं दरों को संकलित कर समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका परिशिष्ट-1 अनुसार जारी की गई है। अतः विवरणिका में उल्लेखित अनुसार पात्रता के अनुरूप ही विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जाना

सुनिश्चित करें। विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने के उपरान्त छात्रवृत्ति रिवीट किए जाने का प्रावधान नहीं है।

5 अभिलेख संधारण—समस्त विद्यार्थियों की प्रोफाइल की जानकारी एवं उसको मिलने वाले लाभ संबंधी अभिलेख संधारण के निर्देश समय-समय पर दिए गए हैं। अतः तदनुसार अभिलेख संधारित किए जाए।

अतः शतप्रतिशत विद्यार्थियों के नामांकन, प्रोफाइल अपडेशन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति का कार्य दिनांक 30.09.23 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कार्य प्रगति की प्रति दिवस जिला एवं विकासखंडवार समीक्षा एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी संकुलवार समीक्षा कर उक्त कार्य समयसीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न समेकित छात्रवृत्ति विवरणका वर्ष 2023-24

  
(अनुभा श्रीवास्तव) 12/9

आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल दिनांक

12.09.2023

क्रमांक/समे.छात्र./अभि/01/2023-24/140  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग की ओर प्रेषित कर लेख है की ओर अपने स्तर से जनजातीय विकासखण्डों के लिए पृथक से निर्देश जारी करने हेतु।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी., 47 अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त संभाग एवं जिला छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
आयुक्त 12/9  
लोक शिक्षण म.प्र.

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन] भोपाल

क्रमांक/1856/1524716/2023/20-2

भोपाल दिनांक 21/08/2023

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश
5. समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक मध्यप्रदेश

विषय:-वर्ष 2023-24 में समेकित छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वयन हेतु छात्रवृत्ति विवरणिका।


संदर्भ:-स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र/1265/775257/2022/20-2 दिनांक 0408.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा वर्ष 2022-23 की समेकित छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वयन हेतु छात्रवृत्ति विवरणिका जारी की गई थी। समेकित छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित विभागों द्वारा वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्ति विवरणिका हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं में किए गए संशोधन/परिवर्धन उपलब्ध कराए गए हैं।

छात्रवृत्ति संबंधित विभागों द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं में किए गए संशोधन/परिवर्धन/विलोपन को सम्मिलित कर वर्ष 2023-24 में समेकित छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति की पात्रता एवं दरों की संकलित समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका परिशिष्ट-1 (शिक्षा पोर्टल से संचालित छात्रवृत्ति योजना ) अनुसार संलग्न है।

जिलान्तर्गत समस्त संकुल प्राचार्य/शाला प्रमुखों को निर्देशित करें कि विवरणिका में सम्मिलित परिशिष्ट-1 अनुसार छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए निर्धारित पात्रता दर एवं शर्तों के अनुरूप छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। MPTAASC पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित होने वाली अनुसूचित जाति एवं जनजाति केंद्र एवं राज्य प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की वर्ष 2023-24 हेतु विवरणिका पृथक से जारी की जा रही है।

संलग्न:-छात्रवृत्ति विवरणिका परिशिष्ट-1

  
21/8/23

(प्रमोद सिंह)  
उप सचिव

म0प्र0शासन,स्कूल शिक्षा विभाग


भोपाल दिनांक 21/08/2023

पृष्ठान क्रमांक/1857/1524716/2023/20-2

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड न -3 भोपाल
6. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश
7. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल
8. आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, 35 राजीव गांधी भवन श्यामला हिल्स भोपाल
9. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, द्वितीय तल सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल
10. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, द्वितीय तल सतपुड़ा भवन भोपाल
11. संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति विकास राजीव गांधी भवन श्यामला हिल्स भोपाल
12. प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी., 47 अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।

  
21/8/23  
उप सचिव

म0प्र0शासन,स्कूल शिक्षा विभाग



**समेकित छात्रवृत्ति योजना**  
**म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियां (परिशिष्ट-1)**  
**वर्ष 2023-24 हेतु समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका**  
**शिक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित होने वाली छात्रवृत्ति योजनाएं।**

क्रमांक	छात्रवृत्ति का प्रकार	दर वार्षिक (10 माह)		पालक की वार्षिक आय	पात्रता एवं शर्तें
		बालक	बालिका		
1	2	3	4	5	6

1	<u>स्कूल शिक्षा विभाग</u>				
1	2	3	4	5	6
(1.1)	सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6से 8) (केवल शास. विद्या. के लिये)	200	300	1.00लाख	1- पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। 2- गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति। 3- गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
(1.2)	सुदामा प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9वीं से 10वीं) (केवल शास विद्या. के लिये)	300	400	1.00लाख	1- पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 2- गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबंधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। 3- गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
(1.3)	स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (केवल शास विद्या. के लिये)	500	550	1.00लाख	1-पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 2-गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबंधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। 3-कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं में तथा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्र/छात्रायें। 4-गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
(1.4)	सुदामा शिष्यवृत्ति योजना (कक्षा 11वीं एवं 12वीं) प्रदेश के जिला/ विकास खण्ड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्रावास में निवास करने वाले, सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र/छात्रायें।	5000	5250	1.00लाख	1-पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 2-गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबंधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। 3-कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर वर्तमान में कक्षा 11वीं अथवा 12वीं में अध्ययनरत तथा छात्रावास में निवास करने वाले छात्र/छात्रा। 4- गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

1	2	3	4	5	6
(1.5)	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना।(केवल शास विद्या.के लिये)	5000	5000	1.00लाख	1-पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 2-प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय के सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र एवं छात्रा।
(1.6)	मृत/अपंग/से.नि. शासकीय कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति (केवल शास. विद्या. के लिये)	—	—	—	1-अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर मृत/अपंग/से.नि. शासकीय कर्मचारी के बच्चों की छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। 2-गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
	कक्षा 1 से 5 तक	50	50	—	
	कक्षा 6 से 8 तक	120	120	—	
	कक्षा 9 से 12 तक	250	250	—	
(1.7)	पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति(केवल शास. विद्या. के लिये)	—	—	—	1-अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर पितृहीन कन्याओं की छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। 2-गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
	कक्षा 1 से 5 तक	—	350	—	
	कक्षा 6 से 8 तक	—	400	—	
	कक्षा 9 से 12 तक	—	450	—	
(1.8)	इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति (म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मण्डल का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायर सेकेण्ड्री विद्यालय) कक्षा 11 एवं 12	—	5000	—	1-बालिकाएँ जो अपनी माता-पिता की इकलौती संतान हैं। 2-मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रम में 10वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त। 3-यह छात्रवृत्ति उन्ही मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जायेंगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क ₹ 1500/- से कम होगा। माता-पिता के शासकीय सेवा में होने की स्थिति में उनकी इकलौती संतान होने का कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र/राशन कार्ड में परिवार की सूची की सत्यापित प्रति। 4-माता-पिता के शासकीय सेवा में न होने की स्थिति में बालिका इकलौती संतान होने के संबंध में अस्थापित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र/ राशन कार्ड की सत्यापित प्रति। 5-कक्षा 10वीं/11वीं की अंक सूची।

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग					
2					
1	2	3	4	5	6
(2.1)	राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 1 से 5 (केवल बालिकाओं के लिए)	—	250	आय सीमा का बंधन नहीं।	1-अ.जा. वर्ग की छात्रायें। 2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3-एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4-नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लिये (कक्षा 1 से 5)के लिये पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। 5-आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। 6-मूलनिवासी प्रमाण पत्र, अस्टाम्पित स्व घोषणा पत्र के आधार पर।
(2.1.1)	राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 6 से 8	200	600	आय सीमा का बंधन नहीं।	1-अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3-एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4-नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लिये (कक्षा 6 से 8) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। 5-आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। 6-मूलनिवासी प्रमाण पत्र, अस्टाम्पित स्व घोषणा पत्र के आधार पर।
(2.6)	अनु. जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि कक्षा 11वीं	—	3000	पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो	1-अनु.सूचित जाति वर्ग की छात्रायें। 2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति 3-पालक के आयकर दाता न होने का स्वघोषणा पत्र। 4 छात्रा सतत् अध्ययनरत होना चाहिये।

जनजातीय कार्य विभाग					
3	1	2	3	4	5
(3.1)	राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 1 से 8 योजना क-8805 (0102)	—	—	आय सीमा का बंधन नहीं।	1- म.प्र. के अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3-एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4-नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे कक्षा 1 से 5 तक के लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। 5-आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।
	कक्षा 1 से 5(अनुसूचित जनजाति वर्ग की समस्त बालिकाएं एवं केवल विशेष पिछड़ी जनजाति(बैगा,भारिया,सहरिया) के बालकों के लिए	250	250		
(3.1.1)	राज्य शासन अनु. जन जाति छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (कक्षा 6 से 8)	200	600	आय सीमा का बंधन नहीं।	1-म.प्र. के अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/ छात्रायें। 2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3-एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4-नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे कक्षा 6 से 8 के लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। 5-आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।
3.5	अनु. जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि (8844) कक्षा 11वीं	—	3000	पिता या पालक की आय 6.00 लाख रु.से अधिक न हो।	1-म.प्र. के अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रायें। 2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3-छात्रा सतत् अध्ययनरत् होना चाहिए। 4-सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र।

4	विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग				
1	2	3	4	5	6
(4.1)	राज्य छात्रवृत्ति (प्राथमिक स्तर)	—	—	आय सीमा का बंधन नहीं।	1—विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र/ छात्रायें। 2— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3—एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4— नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे कक्षा 1 से 5 के लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। 5—आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।
	कक्षा 1 से 5	150	150		
(4.1.1)	राज्य छात्रवृत्ति (माध्यमिक स्तर)	—	—	आय सीमा का बंधन नहीं।	1—विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र/ छात्रायें। 2—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3—एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4— नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे 6 से 8 तथा 9वीं एवं 10वीं के लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। 5— आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।
	कक्षा 6 से 8	200	600		
	कक्षा 9 से 10	600	1200		
(4.2)	पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (गैर छात्रावासी)	2300	2300	2.50 लाख तक पूर्ण छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्क एवं 2.50 लाख से 3.00 लाख तक आधा शुल्क	1—विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र/ छात्रायें। 2—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3—आय संबंधी पालक द्वारा अस्ताम्पित कागज पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र। 4—एक वर्ष अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है। 5—नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की "गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।" 6—शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं हेतु कमशः रु 450. /— एवं रु. 1550 /— (350 /— शिक्षा विभाग + 1200 /— माध्यमिक शिक्षा मण्डल परीक्षा शुल्क) होगी। स्वीकृतकर्ता अधिकारी अधिकतम सीमा के अंतर्गत संकायवार पात्रतानुसार प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ण/अर्द्ध शुल्क का निर्धारण करेंगे।
	पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (छात्रावासी)	3800	3800		
(4.4)	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि कक्षा 11वीं	—	3000	पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो	1—विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग की छात्रायें। 2—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 3—आय संबंधी पालक द्वारा अस्ताम्पित कागज पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र। 4—छात्राएँ सतत अध्ययनरत होना चाहिए।



म.प्र. पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विभाग					
5					
1	2	3	4	5	6
(5.1)	राज्य शासन पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति	—	—	पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो या 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो	1—अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
	कक्षा 6 से 8	200	300		2—आय के संबंध में पालक का स्वघोषणा पत्र।
	कक्षा 9 से 10	300	400		3—नवीनीकरण हेतु पालक का स्वघोषणा पत्र की "गत वर्ष में आय में वृद्धि नहीं हुई है।"
(5.2)	पोस्ट मेट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति	—	—	3.00 लाख	1—अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
	ए- गैर छात्रावासी				2—आय के संबंध में पालक का स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
	कक्षा 11वीं	2300	2300		3—नवीनीकरण हेतु पालक का स्वघोषणा पत्र कि "गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।"
	कक्षा 12वीं	2300	2300		4—अंक सूची की छायाप्रति।
	बी-छात्रावासी				5—एक वर्ष अनुत्तीर्ण को पात्रता नहीं।
	कक्षा 11वीं	4000	4000		
	कक्षा 12वीं	4000	4000		
6	सामाजिक न्याय विभाग म.प्र.				
(8.1)	दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना			आय सीमा का बंधन नहीं है।	1—विद्यालय में अध्ययनरत समस्त दिव्यांग छात्र/छात्रायें। म.प्र. के निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
	कक्षा 1 से 8	500	500		2—चिकित्सक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिसमें न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो।
	कक्षा 9 से 12	1000	1000		